<u>प्रेस विज्ञप्ति दिनाँक 29.11.2025</u>

थाना सैयदराजा, जनपद चन्दौली

🔹 **थाना सैयदराजा व थाना चन्दौली पुलिस टीम की संयुक्त कार्यवाही में हत्या की घटना कारित करने वाले वाँछित आरोपी 01 अभियुक्त को पुलिस मुठभेड़ में किया गया गिरफ्तार।**

🔹 **गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमन्चा 315 बोर व 02 जिन्दा कारतूस व 01 खोखा कारतूस बरामद किया गया।**

चन्दौली- श्री पीयूष मोर्डिया अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन वाराणसी महोदय, श्री वैभव कृष्ण, पुलिस उपमहानिरीक्षक वाराणसी परिक्षेत्र वाराणसी महोदय के निर्देशन में आदित्य लांग्हे पुलिस अधीक्षक चन्दौली द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही किये जाने हेतु दिये गये निर्देशों के अनुपालन में चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक सदर अनन्त चन्द्रशेखर (IPS) व क्षेत्राधिकारी सदर देवेन्द्र कुमार के कुशल पर्यवेक्षण/मार्गदर्शन में प्रभारी निरीक्षक विन्देश्वर प्रसाद थाना सैयदराजा के नेतृत्व में थाना सैयदराजा व चन्दौली पुलिस टीम द्वारा थाना सैयदराजा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 354/2025 धारा 103(1)/191(2)/191(3)/115(2)/352 बीएनएस से सम्बन्धित वाँछित अभियुक्त सवरू उर्फ रितेश उर्फ बीन पुत्र नरेश यादव निवासी ग्राम का काजीपुर थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली उम्र 19 वर्ष को पुलिस मुठभेड़ में आज दिनांक 29.11.2025 को गिरफ्तार किया गया।

प्रभारी निरीक्षक सैयदराजा मय हमराह द्वारा रात्रि चेंकिग के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर प्रभारी निरीक्षक सैयदराजा मय हमराह व प्रभारी निरीक्षक कोतवाली चन्दौली मय हमराह द्वारा रेलवे स्टेशन से लगभग 1.5 कि0मी0 पहले ग्राम कल्याणपुर के पास रेलवे लाइन पश्चिमी खम्भा नं0 100/20 व पूर्वी 100/18 के मध्य उत्तरी तरफ सडक के पास 01 अभियुक्त को मौजूदा पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी की जा रही थी। अभियुक्त द्वारा अपने आप को पुलिस बल से घिरा हुआ देखकर अभियुक्त ने पुलिस टीम पर जान मारने की नियत से फायर कर दिया। जिसमें आरक्षी विष्णु दत्त प्रजापति के दाहिने बाजू को गोली छुते हुए निकल गयी। अभियुक्त को पकड़ने के लिए पुलिस द्वारा पीछा कर रेलवे स्टेशन सैयदराजा ओवरब्रीज के पास जवाबी फायर किया गया। जिसमें अभियुक्त के पैर में गोली लगने के कारण मौके पर गिर गया तथा अभियुक्त को पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार लिया गया। अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमन्चा 315 बोर व 02 जिन्दा कारतूस व 01 खोखा कारतूस के बरामद किया गया।
प्राथमिक उपचार हेतु अभियुक्त को सीएचसी बरहनी में भर्ती कराया गया जहाँ से अभियुक्त को जिला अस्पताल चन्दौली रेफर किया गया। जहां पर इलाज चल रहा है तथा घायल का. विष्णु दत्त प्रजापति का दवा इलाज हेतु सीएचसी बरहनी में भर्ती कराया गया है। थाना स्थानीय द्वारा सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पुलिस द्वारा अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पूर्व की घटना-

दिनांक 23.11.2025 को रात्रि करीब 09.00 बजे बाईक साइड करने को लेकर हुए विवाद में अभियुक्त व उसके सह अभियुक्तों के साथ मारपीट व गाली गलौज करने तथा बदला लेने के उद्देश्य से मृतक को लाठी डण्डा से पीट कर हत्या कर दी गयी थी।

गिरफ्तार अभियुक्त का ना व पता-
1.सवरू उर्फ रितेश उर्फ बीन पुत्र नरेश यादव निवासी ग्राम का काजीपुर थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली उम्र 19 वर्ष

गिरफ्तार अभियुक्त का अपराधिक इतिहास-
1-मु0अ0सं0 201/2024 धारा 115(2)/352/351(2)/117(2) बी0एन0एस0 थाना सैयदराजा, चन्दौली
2-मु0अ0सं0 354/2025 धारा 103(1)/191(2)/191(3)/115(2)/352/109 बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली

बरामदगी-
01 अवैध तमन्चा 315 बोर
02 जिन्दा कारतूस व 01 खोखा कारतूस

पुलिस टीम का विवरण-
1.प्रभारी निरीक्षक विन्देश्वर प्रसाद पाण्डेय थाना सैयदराजा , चन्दौली
2.प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार थाना चन्दौली मय टीम जनपद चन्दौली
3.उ.नि. अवधेश नारायण थाना सैयदराजा, चन्दौली
4.उ.नि. रामकुमार दुबे थाना सैयदराजा, चन्दौली
5.हे.का. नसीरुद्दीन हुंमायु थाना सैयदराजा, चन्दौली
6.का. विष्णु प्रजापति थाना सैयदराजा, चन्दौली
7. का. पवनेश कुमार थाना सैयदराजा,चन्दौली
8.का.चा. विरेश कुमार थाना सैयदराजा, चन्दौली